समाहरणालय, शेखपुरा

(नजारत शाखा)

–: अल्पकालीन निविदा आमंत्रण की सूचना :–

समाहरणालय शेखपुरा अंतर्गत जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय एवं अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालय में Heavy Duty Photo Copier Machine stablizier, Trolly ect) का क्रय किया जाना है।

इस हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 317/नजा0 दिनांक 16.09.17 के आलोक में पूर्व में प्रकाशित निविदा को रद्द करते हुए दो अदद Heavy Duty Photo Copier Machine (25 pages per minute) with inbuilt scanner and printer (accessories- stabilizer, Trolly) के साथ आपूर्त्ति करने हेतु इच्छुक प्रतिष्ठित, पंजीकृत एवं अधिकृत विक्रेता/आपूर्त्ति कर्त्ता/उत्पादन कर्त्ता से दिनांक 27.06.2018 के अप0 3.00 बजे तक मुहर बंद वित्तीय एवं तकनीकी अलग–अलग लिफाफे में निविदा नीचे अंकित शर्तो के अधीन आमंत्रित की जाती है। उक्त निविदा उसी दिन 4.00 बजे अप0 में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा जिला क्रय समिति की उपस्थिति में अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय वेश्म में खोली जाएगी, जिसमें निविदादाता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति मूल कागजातों के साथ उपस्थित रह सकेगे। निविदा हेतु सामग्री की सूची विशिष्टताएँ एवं अन्य शर्ते शेखपुरा जिला के Website - sheikhpura.bih.nic.in पर देखी जा सकती है या जिला नजारत शाखा, शेखपुरा से किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय कार्य अवधि में प्राप्त की जा सकती है।

निविदा की शर्ते :–

1. फोटो कोपियर मशीन उपर्युक्त सभी विशिष्टताओं के साथ प्रतिष्ठित आई0एस0आई0 मार्का होनी चाहिए।
2. उसका कुल मूल्य GST/ आयकर आदि सभी कर सहित अंकित होना चाहिए।
3. आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर समाहरणालय में सामाग्री की आपूर्ति कर निर्दिष्ट स्थानों पर व्यवस्थित करना होगा। निर्दिष्ट स्थानों पर व्यवस्थित करने के लिए अलग से वाहन भाड़ा अथवा Labour cost देय नहीं होगा।
4. कम्पनी/फर्म का नाम काली सूची में दर्ज नहीं होना चाहिए। इस आशय का शपथ–पत्र समर्पित करना होगा।
5. निविदा के साथ कैटलॉग एवं अन्य विशिष्टताओं का उल्लेख हो।
6. निर्धारित समय के बाद प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
7. निविदा रद्द/अस्वीकृत करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
8. निविदा के वक्त मो0–5000/–(पाँच हजार) रूपये का डी0 डी0/चेक जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के पदनाम से जमा करना होगा।
9. इसकी आपूर्त्ति के पूर्व कोई अग्रिम देय नहीं होगा।
10. इसकी गारंटी/वारंटी और Maintenance के संबंध में भी स्पष्ट रूप से निविदा पत्र में अंकित करेंगे।

5.6.18

जिला पदाधिकारी
शेखपुरा

E-2018/19-05-18